इन्वेस्ट यूपी अब निवेशकों के लिए उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम 3.0 विकसित कर रहा

उद्यमियों, कारोबारियों के काम कम दस्तावेजों के बावजूद जल्द हो जाएंगे

राहत

■ अजित खरे

लखनऊ। उद्यमियों, कारोबारियों व आम लोगों के काम अब और कम समय में पूरे होंगे। उन्हें दस्तावेज कम लगाने होंगे और फार्म कम भरने होंगे। इसके लिए सेवाएं देने में 30 प्रतिशत समय कम किया जाएगा। 30 से 50 प्रतिशत दस्तावेज कम होंगे। विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले फार्म की संख्या भी आधी की जाएगी।

इन्वेस्ट यूपी अब उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम 3.0 विकसित कर रहा है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पावर कारपोरेशन, राजस्व, समेत कई विभाग की सेवाएं एकीकृत होंगी। संबंधित विभाग अपनी आनलाइन सेवाओं में सर्विस डिलीवर टाइम घटाने, कम से कम दस्तावेज लेने, कम से कम फार्म भरवाने की मुहिम लगे हैं। बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान के तहत सेवाओ में लगने वाला समय कम करने का प्रयास काफी समय से चल रहा है।

निवेश मित्र 3.0 को एक उन्नत सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप में स्थापित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक अनुमोदनों, निरीक्षणों और सेवाओं की डिलीवरी में स्वचालन, पारदर्शिता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करना है। अभी तक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत 45 विभागों में 1,000 से अधिक सुधार, 524 डिजिटाइज्ड सेवाएं और 200 से अधिक जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं उद्यमियों को प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश ने सेवा समय-सीमा को 80% तक कम किया है। साथ ही विभागों में दस्तावेजों की मांग को आधा किया गया है।

45 के बजाए 30 दिन में राजस्व विभाग देगा सेवाएं

30 दिन के बजाए पांच दिन में श्रम विभाग करेगा काम

इन्वेस्ट यूपी ने लॉन्च किया डिजिटल एचआरएमएस पोर्टल

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने सोमवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली 'एचआरएमएस' पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्यमी मित्रों के प्रशासनिक कार्य अब डिजिटल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े विषयों के साथ-साथ इन्वेस्ट यूपी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की गई।

इन विभागों में काम के दिन और फार्म कम हो जाएंगे

विभाग	अभी दिन लगते हैं	अब लगेंगे	कम होंगे फार्म
राजस्व	45	30	12 से 6
श्रम	30	05	127 से 50
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	120	21	400 से 150
अग्निशमन	15	04	39 से 20
पावर कारपोरेशन	66	40	07 से 05